न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 119/2021
(GCMS 2021/195)(आरटीआई नं. 212777515268734)

ताराचन्द चायल पुत्र श्री महावीर प्रसाद चायल जाति मोची, निवासी गली नम्बर 2, मकान नम्बर 558, तेली मोहल्ला, नजदीक शनि मंदिर, [illegible] कॉलोनी, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 82391-78791)

बनाम

1. **कार्यालय जिला कलक्टर**, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी ताराचन्द चायल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.09.2021 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध न्याय शाखा से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1010 दिनांक 01.10.2021 से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को हस्तान्तरित किया गया था। प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उसके प्रार्थना पत्र पर कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी पर 250/-प्रतिदिन शास्ति लगाकर, विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए, उसे वांछित सूचना दिलवाने के लिए यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री ताराचन्द ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.09.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

> प्रार्थी के नाम एक हथियार लाईसेंस [illegible] DM 2/97 PS चिड़ावा, खटीकों का मोहल्ला, वार्ड नं. 18, चिड़ावा बना हुआ था जिसे प्रार्थी ने बाद में श्रीगंगानगर में स्थानान्तरित करवाया और

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तब वह लाईसेंस 66/98/ DM/SGNR हो गया। अतः प्रार्थी अपने इस लाईसेंस की जानकारी चाहता है :

1. उक्त लाईसेंस की प्रमाणित प्रति।
2. उक्त लाईसेंस को स्थानान्तरित करवाने के समय पेश किए गए प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, नोटेरी सत्यापन आदि की संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि इस कार्यालय के पत्रांक 1134/16.11.2021 एवं स्मरण पत्र 651/01.06.2022, 392/15.03.2023 एवं 817 दिनांक 22.06.2023 से प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु उनके द्वारा उक्त अपील का कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात नहीं होता है कि आवेदन के प्रार्थना पत्र दिनांक 28.09.2021 द्वारा चाही गई सूचनाओं पर कोई उत्तर दिया गया है अथवा नहीं? जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नहीं?, का पता नहीं चलता है, जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं, इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:42 IST
Reason: SelfAttested